

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्यवहार प्रक्रिया संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी-उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या-271/2018

1. सुशील कुमार पुत्र पालाराम जाति जाट निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी ।
-वादी

- बनाम
1. पालाराम पुत्र मनीराम
2. दुर्गादेवी पत्नी पालाराम
3. इन्द्रादेवी
4. संतोष
5. सुमन
6. सुनीता
- पुत्रीयाँ पालाराम

जाति जाट निवासीयान मेहरवाला तहसील टिब्बी ।

-प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ उम्मेदसिंह रतनू आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री विकास शर्मा, अधिवक्ता वादी मिन जामिन मुदई श्री महावीर प्रसाद वर्मा, अधिवक्ता प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि प्रतिवादी संख्या 1 पालाराम के नम से चक नं. 4 एमडी के खाता संख्या 59 में कुल 6.593 है. व इसी चक के खाता संख्या 81 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से 3.998 है. कमाण्ड, अनकमाण्ड में से 1/3 हिस्सा में से :-

क)-वादी सुशील कुमार को प्राप्त आराजी:-चक नं0 4 एम.डी. के खाता सं0 81 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम से अंकित हिस्सा मे से 0.666 है0 कमाण्ड आराजी

ख)-प्रतिवादीगण सं0 3 ता 6 को ब0हि0ब0 प्राप्त आराजी:-चक नं0 4 एम.डी के खाता सं0 81 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम से अंकित हिस्सा में से 0.666 है0 अनकमाण्ड आराजी तथा चक नं0 4 एम.डी. के खाता सं0 59 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 6.593 है0 कमाण्ड मय गै0मु0 में से 4.745 है0 ब0हि0ब0

वादी व प्रतिवादी सं0 3 ता 6 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक नं0 4 एम.डी.के खाता सं.81 में से प्रतिवादी सं.1 का नाम कलमजन व चक नं.4 एमडी के खाता सं.59 में से प्रतिवादी सं.1 का हिस्सा कम कर शेष हिस्सा बदस्तुर रखे जाने के आदेश दिये जाते है। उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। बैंक ऋण होने की स्थिति में बैंक से अनापति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निज निल मुब्लिक निल बाबत निल खर्चा मुकदमें के मय अदा करें।
शुद्ध वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक 27.7.2018

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से दिनांक 27.7.2018 को जारी किया गया।



(उम्मेदसिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी